<u>न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व),</u>

<u>श्रीकरणपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :28/2019

1. शैलेन्द्र गर्ग पुत्र भीमसेन गर्ग जाति अग्रवाल निवासी बी- 98 ज्ञान मार्ग, तिलक नगर जयपुर।

--

प्रार्थी--

<u>बनाम</u>

1. मंजू गर्ग पत्नि भीमसेन गर्ग जाति अग्रवाल निवासी बी- 98 ज्ञान मार्ग, तिलक नगर जयपुर।
2. शिवानी गर्ग पुत्री भीमसेन गर्ग जाति अग्रवाल निवासी बी- 98 ज्ञान मार्ग, तिलक नगर जयपुर।
2. मैसर्स मोहन संस एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड एफ 47 मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर भागीदार प्रमोद चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह शॉप न. 100 गणपति लॉर्क्स, गणपति प्लाजा, एम आई रोड जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) एवं उपपंजीयक महोदय श्री करणपुर ।
4. कुलविन्द्र सिंह पुत्र सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्री करणपुर।
5. हरजिन्द्र सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्री करणपुर।
6. परमजीत कौर पत्नि सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्री करणपुर।
7. बेअन्त कौर पत्नि कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता -:प्रार्थी की ओर सेः-
2. श्री सुखविन्द्र सिंह अधिवक्ता -:अप्रार्थी संख्या 1,2, 5 ता 8 की ओर सेः-
3. श्री मदन लाल पटीर अधिवक्ता -: अप्रार्थी संख्या 3 की ओर सेः-
4. राजपैरोकार -:अप्रार्थी संख्या 4 की ओर सेः-

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए</u>

--निर्णय-- दिनांक : 07.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि चक 5 एम की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 24/19 के मु.न. 6 के किला न. 13/2 ता 25 की 3.036 हैक्टर व मु.न. 19 के किला न. 1 ता 25 कुल 6.197 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा न. 27/5 के 0.076 हैक्टर व खाता संख्या 23/17 के मु.न. 5 के किला न. 1 ता 15 की कुल 3.795 हैक्टर दोनो खातो की कुल 13.104 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता/पति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसका विरास्तन इन्तकाल संख्या 146 मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 मुझ प्रार्थी की माता एंव अप्रार्थी संख्या 2 मुझ प्रार्थी की बहन है। चूकि उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम की सयुक्त खाता में दर्ज

भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि दर्ज है। लेकिन उनके पास मौका पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। समस्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि की सार संभाल करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने नाम कृषि भूमि होने का फायदा उठाकर संयुक्त खाता की भूमि का बिना विधिवत बंटवारा करवाये विक्रय करना चाहती है। जिसके लिए उन्होने उक्त कृषि भूमि के विक्रय की घोषणा कर दी है। तथा दलाल व बिचौलिये सक्रिय हो गये है। इस बात की जानकारी मुझ प्रार्थी को होने पर मुझ प्रार्थी ने आज से सात रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से सम्पर्क किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कहा कि उन्होने तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने की योजना बना रखी है। प्रार्थी ने कहा कि यह सम्पति उनको उनके पिता/पति से विरास्तन प्राप्त हुई है। और सयुक्त खाता की भूमि है। यदि आप किसी कारणवश भूमि का बेचान करना चाहते है तो पहले विधिवत बंटवारा करवाकर आप कब्जा प्राप्त कर लेवे। उसके उपरांत आप अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का विक्रय कर देवे। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्पष्ट कहा कि वह तो विवादित संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाये बिना ही किसी अजनबी को विक्रय कर देगे। और वो व्यक्ति जबरन बलपूर्वक कृषि भूमि में घुसकर कब्जा प्राप्त कर लेगा। यही वाद कारण है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे की चक 5 एम की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 24/19 के मु.न. 6 के किला न. 13/2 ता 25 व मु.न. 19 के किला न. 1 ता 25 कुल 6.197 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा न. 27/5 के 0.076 हैक्टर व खाता संख्या 23/17 के मु.न. 5 के किला न. 1 ता 15 की कुल 3. 795 हैक्टर दोनो खातो की कुल 13.104 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि के सम्बन्ध में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में हो, बल्कि उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी एंव समस्त अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। और सभी पक्ष अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है तथा इसी क्रम में चक 5 एम के खाता संख्या 24/19 के मु.न. 6 के किला न. 14 ता 25 एंव मु.न. 19 के किला न. 15 ता 17, किला न. 22 ता 25 की भूमि पर अप्रार्थीया संख्या 1 च 2 संयुक्त काबिज थी तथा इसी प्रकार उपरोक्त चक के खाता संख्या 23 के मु.न. 5 के किला न. 6 ता 15 की भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 के कब्जा में चली आ रही है। तथा इसके आलावा अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी चक 5 एम के खाता संख्या 24 के मु.न. 6,19,27/5 की कुल 9.309 हैक्टर नहरी भूमि में से कुलविन्द्र सिंह पुत्र सुखराज सिंह को 1.518 हैक्टर तथा हरजिन्द्र सिंह पुत्र बलकरण सिह को 1.518 हैक्टर, तथा परमजीत कौर पत्नि सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासीगण 5 एम को 1.771 हैक्टर नहरी भूमि जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.05.2019 के द्वारा बेचान की जा चूकी

है। और इसी प्रकार चक 5 एम के खाता संख्या 23 के मु.न. 5 की 3.795 हैक्टर नहरी भूमि में से 2/3 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टर रकबा बेअन्त कौर पत्नि कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम को जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.05.2019 के द्वारा बेचान की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने कब्जा की चक 5 एम के मु.न. 6 के किला न. 14 ता 25 एंव मु.न. 19 के किला न. 15 ता 17 , किला न. 22 ता 25 की भूमि एंव खाता संख्या 23 के मु.न. 5 के किला न. 6 ता 15 की भुमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज थी। हमारे द्वारा उपरोक्त तमाम भूमि का कब्जा खरीददारन को दिया जा चूका है। उपरोक्त भूमि की पानी की पर्ची खरीददारन के नाम से चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का बेचान किया गया है। इसलिए उनके विरूद्व कोई स्थगन जारी नही किया जा सकता है। अतिरिक्त कथन के अनुसार प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीए में पेश किया गया है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने अनुतोष में कही भी दर्ज नहीं किया कि प्रार्थी के कब्जा में कौन कौनसे किलाजात है तथा किन-किन किलाजात का खाता प्रार्थी के नाम से अलग किया जाना है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वाद खाता विभाजन का ना हो कर मात्र हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए पेश किया है। जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल पटीर उपस्थित आए व सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी पेश किया नकल प्रतिवादी अधिवक्तागण को दिलाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर कोई एतराज नही होना जाहिर किया । प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता के द्वारा सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। नकल प्रतिवादी/अप्रार्थी अधिवक्तागण को दिलाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई एतराज नही होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर कुलविन्द्र सिंह, हरजिन्द्र सिंह, परमजीत कौर, बेअन्त कौर को प्रकरण में बतौर अप्रार्थी संख्या क्रमशः 5,6,7,8 के रूप में संयोजित किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह उपस्थित आए व पत्रावली पर अंकित किया कि जो जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का है वही जवाब अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 का पढा जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया।

बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेत निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा चक 5 एम की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 24/19 के मु.न. 6 के किला न. 13/2 ता 25 की 3.036 हैक्टर व मु.न. 19 के किला न. 1 ता 25 कुल

6.197 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा न. 27/5 के 0.076 हैक्टर व खाता संख्या 23/17 के मु.न. 5 के किला न. 1 ता 15 की कुल 3.795 हैक्टर दोनो खातो की कुल 13.104 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि उनके द्वारा चक 5 एम के खाता संख्या 24 के मु.न. 6,19,27/5 की कुल 9.309 हैक्टर नहरी भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि को कुलविन्द्र सिंह पुत्र सुखराज सिह 1.518 हैक्टर, हरजिन्द्र सिंह पुत्र बलकरण सिंह को 1.518 हैक्टर तथा परमजीत कौर पत्नि सुखराज सिंह को 1.771 हैक्टर कुल 4.807 हैक्टर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 23 के मु.न. 5 की 3.795 हैक्टर भूमि में से अपना 2/3 हिस्सा अर्थात 2.530 हैक्टर भूमि बेअन्त कौर पत्नि कुलविन्द्र कौर को बेचान कर दी गई है। सहखातेदार में प्रत्येक खातेदार का सयुक्त कब्जा माना जाता है। अतः उनके हिस्सा के बेचान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपने जवाब के साथ पेश बैयनामा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है किलावाईज बेचान नहीं किया गया है। कोई भी सहखातेदार भूमि का विधिवत बंटवारा करवाये सयुक्त खाता की भूमि का किलावाईज बेचान नहीं कर सकता है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। किसी भी रिकॉर्डड सहखातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। एवं प्रकरण में दिनांक 30.05.2019 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.01.07 12:45:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: